15 मई 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. नया चाबहार समझौता ईरान प्रतिबंधों से 'मुक्त' नहीं है: अमेरिका (GS PAPER II: भारत-ईरान)
2. जोड़ों की चोट के लिए मोम उपचार (GS PAPER III: मूल विज्ञान)
3. जब कोई दूरदर्शिता नहीं होती तो युवा लुप्त हो जाते हैं (GS PAPER II: शिक्षा)
4. एनएचआरसी की स्थिति स्थगन पर स्पष्ट टिप्पणियाँ (GS PAPER II: अर्ध न्यायिक निकाय)
5. एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी की चुनौती (जीएस पेपर: बेसिक साइंस)
6. कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विनियामक सैंडबॉक्स के महत्व पर (GS PAPER II: गवर्नेंस)

New Chabahar pact 'not exempt' from Iran sanctions: U.S.

Suhasini Haidar
NEW DELHI

The new 10-year agreement between India and Iran to develop the Chabahar port carries the "potential risk" of sanctions, the U.S. State Department said on Tuesday, casting a cloud over whether the special exemption India had received from the U.S. in 2018 will still be applicable for the next phase of development and investments in the Iranian project.

In particular, India's plans under the new agreement to invest approximately $120 million in equipment for the port and a credit window of $250 million are likely to be under the scanner if the U.S. decides against extending its sanctions carve-out for India.

In response to specific questions about the long-term contract signed between India Ports Global Ltd. and Port and Maritime Organisation of Iran on Monday, in the presence of Shipping Minister Sarbanand Sonowal and his Iranian counterpart Mehrdad Bazrpash in Tehran, the State Department spokesperson said the U.S. had noted the agreement and said there was "no" specific exemption for it.

"We're aware of these reports that Iran and India have signed a deal concerning the Chabahar port," U.S. State Department spokesperson Vedant Patel said.

"As it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place and we'll continue to enforce them," he said, adding that all entities considering business deals with Iran "need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions".

Officials during the signing of the deal between India Ports Global Ltd and Ports and Maritime organisation of Iran on Monday. PTI

The statement by the U.S. that came hours after the signing of the contract in Iran is significant as India has thus far managed operations at Chabahar's Shahid Beheshti Terminal despite stringent sanctions on companies otherwise dealing with Iran.

In 2018, a carve-out made by the previous Trump administration had been seen as a considerable success for India-U.S. diplomacy, and for India's plans to support the then-democratic government in Afghanistan.

Carve-out clause

According to the U.S.'s carve-out clause, detailed in amendments to the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCA) made in November 2018, the U.S. President could authorise exemptions to sanctions imposed against Iran in two cases: humanitarian aid for Iranian people, and assistance for Afghanistan.

Section 1244 of the IFCA (f) states that "The [US] President may provide for an exception from the imposition of sanctions under this section for reconstruction assistance or economic development for Afghanistan" provided it is in the "national interest of the United States".

A third exception, a six-month waiver on oil imports from Iran ran out in 2019, and India complied with the U.S. demand to "zero out" its purchases of Iranian oil.

The External Affairs Ministry declined to comment on the U.S.'s response. However, it is understood that officials are studying the comments with a view to whether they indicate any impact on the U.S. position on India's future dealings on Chabahar.

With election under way in India, and due in the U.S. later this year, a clearer picture may not, however, appear for several months.

Wax treatment for joint injury

Q: I fractured my ankle five months ago. Under continuous stress, say when you leave your legs dangling for over an hour, they swell up. On the doctor's advice, I underwent wax treatment. What is the basis for using wax? Can one not use hot water instead of wax?

A: The swelling in the ankle and foot is due to an increased accumulation of lymphatic fluid around the injured area. This is because of gravity.

The principle behind wax treatment is the latent heat given off by the molten wax (above 45 degrees C) during its cooling process.

This heat enlarges the blood vessels (a process called vasodilation) below the applied area and helps to effectively drain the accumulated fluid.

This temperature is quite bearable and soothing. But the latent heat given off by hot water, at about 100 degrees C, is certainly harmful to the human body.

Hot water can also be used at bearable temperatures but it cools far more rapidly than molten wax.

In the case of molten wax, moreover, the latent heat given off during its change of state, from liquid to solid, helps in vasodilation as well.

The latent heat given off by the molten wax during cooling enlarges the blood vessels and helps to drain the accumulated fluid. GETTY IMAGES

For feedback and suggestions
for 'Science', please write to
science@thehindu.co.in
with the subject 'Daily page'

जोड़ों की चोट के लिए मोम उपचार (15 मई)

"पांच महीने पहले मेरे टखने में फ्रैक्चर हो गया था। जब मैं अपने पैरों को एक घंटे से ज़्यादा समय तक लटकाए रखता हूँ, तो वे सूज जाते हैं। मेरे डॉक्टर ने वैक्स ट्रीटमेंट का सुझाव दिया। वैक्स क्यों? क्या मैं इसके बजाय सिर्फ़ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता?"

- टखने और पैर में सूजन चोट के आसपास लसीका द्रव के जमा होने के कारण होती है, खासकर तब जब पैर लंबे समय तक लटके रहते हैं।
- मोम उपचार, पिघले हुए मोम (45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) की शीतलन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके किया जाता है।
- मोम से उत्पन्न गर्मी, लगाए गए क्षेत्र के नीचे रक्त वाहिकाओं (वासोडिलेशन) को बड़ा कर देती है, जिससे संचित द्रव को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में मदद मिलती है।
- मोम का तापमान सहनीय एवं सुखदायक होता है।
- दूसरी ओर, गर्म पानी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेष रूप से इसके क्वथनांक लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर।
- यद्यपि गर्म पानी को सहनीय तापमान पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह पिघले हुए मोम की तुलना में बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त, मोम के तरल से ठोस अवस्था में परिवर्तन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा भी वाहिकाविस्फारण में सहायता करती है।

जब कोई दूरदर्शिता नहीं होती तो युवा लुप्त हो जाते हैं (15 मई)

- हाल ही में, राजस्थान के कोटा में दो युवाओं ने प्रवेश परीक्षा के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली, जो कि भारत की "कोचिंग राजधानी" के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में एक सामान्य घटना है।
- हर साल भारत भर में कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अपनी जान ले लेते हैं, जिसका उल्लेख अक्सर सुसाइड नोट में किया जाता है।
- लेखक इस प्रवृत्ति से चिंतित हैं तथा और अधिक त्रासदियों को रोकने के लिए तत्काल ध्यान देने का आग्रह करते हैं।

Patriots

- पारिवारिक दबाव को छात्रों के तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, लेकिन लेखक का मानना है कि बेहतर प्राथमिकताओं और जागरूकता से इसे कम किया जा सकता है।
- लेखक का सुझाव है कि परीक्षा बोर्ड और नियामक प्राधिकारी छात्रों के तनाव में योगदान देने वाले अन्य कारकों को नियंत्रित कर सकते हैं।
- लेखक ने परीक्षाओं और ग्रेडों की तुलना में छात्रों के कल्याण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है, तथा कहा है कि नीतियों में छात्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया है कि युवाओं को उनके महत्व के बारे में आश्वस्त किया जाना चाहिए तथा नीतियों और प्रथाओं में उनके कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कोचिंग संस्थानों का उदय

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं एनसीईआरटी/सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित करती है, जिसे सकारात्मक माना जाता है।
- हालाँकि, कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या और उनके कठोर तरीकों से छात्रों में भारी तनाव पैदा हो रहा है।
- इन परीक्षाओं में सफल होने वाले कई छात्र अपनी सामान्य किशोरावस्था का त्याग कर देते हैं, सामाजिक रूप से अयोग्य हो जाते हैं और पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हैं।
- इन छात्रों में शैक्षणिक विषयों से परे सामाजिक कौशल का अभाव होता है और इन्हें अक्सर "चलती मशीन" कहा जाता है।
- कोचिंग संस्थान प्रायः असुरक्षित भवनों में संचालित होते हैं और विद्यार्थियों पर कठोर कार्यक्रम थोपते हैं, जो सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे या उसके बाद तक चलता है।
- कुछ आवासीय कोचिंग संस्थान तो छोटी उम्र से ही छात्रों के जीवन पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे वे सामान्य बचपन से वंचित हो जाते हैं।
- लेखक ने स्कूलों के उद्देश्य पर सवाल उठाया है कि क्या कोचिंग सेंटर छात्रों को केवल परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने वाले "ज़ॉम्बी" में बदल रहे हैं।

स्कूल के बाद

- दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए हाल ही में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) शुरू किया गया।
- सीयूईटी प्रवेश के लिए स्कूल छोड़ने के बोर्ड अंकों या स्नातक अंकों पर निर्भरता को समाप्त करता है।
- शिक्षकों ने सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत की है, तथा कहा है कि वे गंभीरतापूर्वक सोचने में असमर्थ हैं, बुनियादी अवधारणाओं को समझ नहीं पाते हैं, तथा उनमें सामाजिक कौशल का अभाव है।
- विश्वविद्यालय के निकट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कई कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, जो विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने का वादा कर रहे हैं।

RatnamIAS

- कुछ अभिभावक, जिनमें पहली पीढ़ी के विद्यार्थी भी शामिल हैं, इन वादों के झांसे में आ जाते हैं और प्रायः ऋण ले लेते हैं, जिसका वहन वे नहीं कर सकते।
- हालाँकि, केवल CUET स्कोर पर निर्भर रहना प्रभावी नहीं रहा है, जिसके कारण दो वर्षों में असंतोषजनक परिणाम सामने आए हैं।
- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) तो और भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ प्रस्तुत करती हैं।
- इन परिस्थितियों का शिकार वे बच्चे हो रहे हैं, जो भारत और विश्व के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लेखक ने अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे में सुधार करके सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने का सुझाव दिया है, जबकि निजी स्कूल अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूलों पर केंद्रित है, फिर भी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
- राज्य, सीबीएसई और अन्य बोर्डों को मानकीकृत किया जाना चाहिए ताकि छात्रों द्वारा शिक्षा में किए गए प्रयासों को कमतर न आंका जा सके।
- यदि आवश्यक हो तो एक सामान्य प्रवेश परीक्षा पर विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब यह आवश्यक समझा जाए।

व्यक्तिगत साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करें

- प्रवेश परीक्षाओं में एक व्यक्तिगत साक्षात्कार घटक शामिल होना चाहिए जहां छात्र अपनी शक्तियों और रुचियों पर चर्चा कर सकें।
- CUET या JEE जैसी परीक्षाओं में 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा के शैक्षणिक अंकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
- कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, साथ ही व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शित व्यक्तिगत प्रतिभा और योग्यता को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
- जेईई, सीयूईटी या एनईईटी अतिरिक्त मानदंड हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं हैं।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार छात्रों को एक सम्मानजनक साक्षात्कार पैनल के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करते हैं।
- सेंट स्टीफंस कॉलेज ने 70 से अधिक वर्षों से व्यक्तिगत साक्षात्कार का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और हताशाजनक उपायों को रोका गया है।
- **व्यक्तिगत साक्षात्कार छात्रों को शैक्षणिक अंकों से परे अपनी महत्ता का एहसास कराने में मदद करते हैं।**
- यद्यपि व्यक्तिगत साक्षात्कार आसान नहीं होते और इसके लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है, फिर भी वे प्रत्येक छात्र को अपना मूल्य समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
- प्रवेश परीक्षाओं में व्यक्तिगत साक्षात्कार को शामिल करने से युवाओं को तनाव और दबाव के कारण बर्बाद होने से बचाने में मदद मिल सकती है।

PatriotICAS

- शिक्षकों, अभिभावकों, नीति निर्माताओं और सांसदों, विशेषकर कोटा के सांसदों को युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उनके कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एनएचआरसी की स्थिति स्थगन पर स्पष्ट टिप्पणियाँ

(15 मई) (GS PAPER II: राजनीति (अर्ध-न्यायिक निकाय) आईआर

Candid notes on the NHRC's status deferral

The National Human Rights Commission of India (NHRC) was formally informed late last week that the deferral of its status would continue for a year more. The deferral was put in place by the sub-committee on accreditation (SCA) of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) for a year, in 2023. While the SCA did not agree with the plea of some leading international non-governmental organisations, to put the NHRC in category 'B', it also rejected India's request to lift the deferral.

The NHRC chairperson, a former Justice of the Supreme Court of India, Justice Arun Mishra, and the government may have been unhappy with the continuing deferral but are sure to be relieved that they have avoided the ignominy of a downgrade. The NHRC, directly and, the government, from behind the scenes, had lobbied hard for the deferral to be removed and the cloud over India's 'A' status goes away. Justice Mishra retires in early June and, if the new government to be formed in June after the general election 2024 does not reappoint him, he will be the first NHRC chairman to leave the organisation with the sword of Damocles hanging over its head. This would only strengthen the initial doubts raised about his appointment.

The NHRC brochure

A peep into Justice Mishra's approach to human rights is available from a brochure published by the NHRC, titled 'Human Rights 75'. The document was put out as part of the celebrations of 'Azadi ka Amrit Mahotsav'. In its introduction the document sought to establish that "India's earliest civilisations... laid the fundamental edifice for some basic human rights principles". To substantiate this point it referred to ancient texts such as the *Vedas* and the *Upanishads*. It rightly asserted that they promoted the exploration of spiritual truths. Thereafter, the publication went on to state, "The concept of justice and fairness is also central to ancient Indian literature. The *Manusmriti*, while reflecting the social norms of its time, also outlines principles of justice, including punishment proportionate to the crime".

Vivek Katju

is a retired Indian Foreign Service officer

Benefits

Much of the criticism of the West for weaponising human rights is valid, but the continuing deferral of the NHRC's status must lead to hard questions in India

For crores of historically disadvantaged Indians, the *Manusmriti* is the fountainhead of the evil of discrimination and violence they have suffered. Its mention in a NHRC document, despite the routine caveat attached to the reference, will be outrageous to them and to those who are pledged to uphold the Indian Constitution. Was the *Manusmriti*'s mention an oversight or does it reflect the considered views of Justice Mishra? Even at this stage a clarification would be useful. He would certainly know that the foundational values of the Indian Constitution are in direct conflict with the basic postulates of the *Manusmriti*.

Drifting away from the Paris Principles?

Certainly, the GANHRI's decision has not been influenced by the reference to the *Manusmriti* but because of the belief that India has not been adhering to the Paris Principles. In early 2017, the SCA had put the NHRC in the deferral category but it was lifted after a review later that year. Hence, India retained its 'A' status.

In a public note on that occasion, the NHRC had stressed the importance of the 'A' status. It stated, "'A' status accreditation also grants participation in the work and participation of the GANHRI, as well as the work of the Human Rights Council and other UN mechanisms". On the Paris Principles the NHRC noted, "The United Nations' Paris Principles provide the international benchmarks against which the National Human Rights Institutions (NHRIs) can be accredited". The Paris Principles were adopted by the UN in 1993. The NHRC stated that the Paris Principles set out "six main criterions that NHRIs are expected to meet. These are: Mandate and competence, Autonomy from Government, Independence guaranteed by a Statute or Constitution, Pluralism, Adequate Resources; and adequate powers of investigations. The GANHRI found the NHRC, India compatible with these criterion" and so gave it 'A' status. That was then. But now, the GANHRI's doubts continue, obviously.

This is a peer-reviewed evaluation

The GANHRI evaluation process is a peer-reviewed one and hence cannot be dismissed as the government has done, since 2019, any criticism of the human rights situation in India. Indeed, External Affairs Minister S. Jaishankar has been especially sensitive to charges of the Narendra Modi government falling short in observing civil liberties and fundamental freedoms. He has, in response to criticism of India on these issues, pointed to the deficiencies in the West on these fronts. He has been acclaimed in India for doing so. Much of the criticism of the West for weaponising human rights is valid but the diplomacy of criticising the West and those who lecture India need not have been abrasive. Firmness does not need the use of the bludgeon of harsh language but the rapier of logic and reason. It also requires the acceptance that India, like all other countries, is not perfect. But such approaches are considered timid in these muscular times.

It is not clear if the Jaishankar muscular approach was adopted by the NHRC in dealing with the SCA. If it was, it has obviously not succeeded. The continuing deferral proves this. But there is a more substantial issue involved. This is the attitude of the government towards the NHRC. Doubts arise because of the nature of the appointments to it and also because of the continuing vacancies in the body. Finally, the NHRC itself has a lot to introspect about.

एनएचआरसी (भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है: " जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतरराष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं"। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है।

सदस्य: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य होते हैं। वे आठ सदस्य हैं: चार पूर्णकालिक सदस्य। चार मानद सदस्य।
स्थापना: 12 अक्टूबर 1993
अध्यक्ष : अरुण कुमार मिश्रा
मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह एक विश्वसनीय भागीदार है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, यूएनडीपी और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों , गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं।

- **विज़न**: एक ऐसा विश्व जहाँ हर जगह हर कोई अपने मानवाधिकारों का पूर्ण आनंद उठा सके।
- **मिशन**: पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) को एकजुट करना, बढ़ावा देना और मजबूत बनाना तथा मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में नेतृत्व प्रदान करना।
- **स्थापना**: 1993 (मूल रूप से एनएचआरआई की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में)।
- **मुख्यालय**: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

संरचना और शासन

- GANHRI एक सदस्यता-आधारित संगठन है जिसकी वैश्विक पहुंच है।
- इसकी प्रशासनिक संरचना में एक ब्यूरो शामिल है, जिसमें 16 ए-स्टेटस एनएचआरआई शामिल हैं, जो GANHRI के चार क्षेत्रों (अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत और यूरोप) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय GANHRI के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

सदस्यता

- दिसंबर 2023 तक, GANHRI के 120 सदस्य हैं:
  - 88 ए-स्थिति मान्यता प्राप्त एनएचआरआई (पेरिस सिद्धांतों के साथ पूर्णतः अनुपालन करने वाले माने जाते हैं)
  - 32 बी-स्थिति मान्यताप्राप्त एनएचआरआई (पेरिस सिद्धांतों के साथ आंशिक रूप से अनुपालन करने वाले माने जाते हैं)।

गतिविधियाँ

- GANHRI दुनिया भर में NHRI की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए काम करता है।
- यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एनएचआरआई) के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है।
- यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की वकालत करता है।

PatriotIAS

संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध

- GANHRI एक अद्वितीय गैर-संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसकी आंतरिक मान्यता प्रणाली, पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन पर आधारित है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितियों तक पहुंच प्रदान करती है।
- इसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, यूएनडीपी और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध है

- भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सूचित किया गया कि इसकी स्थगन स्थिति एक और वर्ष तक जारी रहेगी।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) की मान्यता संबंधी उप-समिति (SCA) द्वारा 2023 में इस स्थगन का निर्णय लिया गया।
- कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों ने एनएचआरसी को श्रेणी 'बी' में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे एससीए द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
- एससीए ने स्थगन हटाने के भारत के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
- एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और सरकार मामले को लगातार टाले जाने से खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात से राहत है कि मामले में डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा।
- एनएचआरसी और सरकार ने इस स्थगन को हटाने और भारत को पुनः 'ए' दर्जा दिलाने के लिए कड़ी पैरवी की।
- न्यायमूर्ति मिश्रा जून की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और यदि 2024 के आम चुनाव के बाद निर्वाचित नई सरकार उन्हें फिर से नियुक्त नहीं करती है, तो वे अनसुलझे मुद्दों के साथ पद छोड़ने वाले पहले एनएचआरसी अध्यक्ष होंगे।
- इस स्थिति से न्यायमूर्ति मिश्रा की एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर संदेह पैदा हो सकता है।

एनएचआरसी ब्रोशर

- मानवाधिकारों के प्रति न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का दृष्टिकोण एनएचआरसी द्वारा प्रकाशित 'मानवाधिकार 75' नामक ब्रोशर से स्पष्ट होता है।
- यह ब्रोशर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के समारोह के हिस्से के रूप में जारी किया गया।
- इसमें वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं ने बुनियादी मानवाधिकार सिद्धांतों की नींव रखी।
- ब्रोशर में मनुस्मृति का भी उल्लेख किया गया है , जिसमें कहा गया है कि यह अपराधों के लिए आनुपातिक दंड सहित न्याय के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है।
- हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से वंचित कई भारतीयों के लिए मनुस्मृति भेदभाव और हिंसा से जुड़ी है, जिसे उन्होंने झेला है।
- सामान्य अस्वीकरण के बावजूद एनएचआरसी के दस्तावेज में मनुस्मृति का उल्लेख करना , भारतीय संविधान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध लोगों द्वारा अपमानजनक माना जा सकता है।

PatriotIAS

- मनुस्मृति का उल्लेख न्यायमूर्ति मिश्रा के सुविचारित विचारों को प्रतिबिम्बित करता है या यह एक चूक थी।
- इस मुद्दे पर स्पष्टता सहायक होगी, विशेषकर यह देखते हुए कि भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य मनुस्मृति के सिद्धांतों के सीधे विरोध में हैं।

क्या आप पेरिस सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं?

- मनुस्मृति के उल्लेख से प्रभावित नहीं है, बल्कि इस चिंता के कारण है कि भारत पेरिस सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है।
- 2017 की शुरुआत में, एससीए ने एनएचआरसी को आस्थगित श्रेणी में रखा था, लेकिन उस वर्ष बाद में समीक्षा के बाद इसे हटा दिया गया, जिससे भारत को अपना 'ए' दर्जा बरकरार रखने की अनुमति मिल गई।
- एनएचआरसी ने 'ए' दर्जे के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह गनहरी के कार्यों, मानवाधिकार परिषद और अन्य संयुक्त राष्ट्र तंत्रों में भागीदारी प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में अपनाए गए पेरिस सिद्धांत, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) को मान्यता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करते हैं।
- एनएचआरसी ने कहा कि पेरिस सिद्धांतों में एनएचआरआई के लिए छह मुख्य मानदंड निर्धारित किए गए हैं: अधिदेश और क्षमता, सरकार से स्वायत्तता, किसी क़ानून या संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता, बहुलवाद, पर्याप्त संसाधन और जांच की पर्याप्त शक्तियां।
- एनएचआरसी को गनहरी द्वारा इन मानदंडों के अनुरूप पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसे 'ए' दर्जा प्राप्त हुआ।
- हालाँकि, एनएचआरसी द्वारा पेरिस सिद्धांतों के पालन के बारे में गनहरी की शंकाएं बनी हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएचआरसी की स्थिति को लगातार स्थगित किया जा रहा है।

यह एक सहकर्मी-समीक्षित मूल्यांकन है

- GANHRI द्वारा की गई मूल्यांकन प्रक्रिया सहकर्मी-समीक्षित होती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही भारत सरकार 2019 से मानवाधिकारों के संबंध में आलोचना को खारिज करती रही है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में मोदी सरकार की कमियों के आरोपों के प्रति संवेदनशील रहे हैं।
- जयशंकर ने इन मुद्दों पर पश्चिम की कमियों की ओर इशारा करके आलोचना का जवाब दिया है, और ऐसा करने के लिए भारत में उनकी प्रशंसा भी हुई है।
- यद्यपि मानवाधिकारों को हथियार बनाने के लिए पश्चिम की आलोचना वैध है, लेकिन कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं कटु नहीं होनी चाहिए, बल्कि तर्क और कारण पर आधारित होनी चाहिए।
- हालाँकि, वर्तमान समय में ऐसे दृष्टिकोणों को डरपोक माना जा सकता है, क्योंकि वे सशक्त दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं।
- यह अनिश्चित है कि क्या एससीए से निपटने में एनएचआरसी ने जयशंकर के सशक्त दृष्टिकोण को अपनाया था, क्योंकि लगातार विलंब से पता चलता है कि इसमें सफलता नहीं मिली है।

PariIAS

- एनएचआरसी के प्रति सरकार के रवैये को लेकर चिंताएं हैं, जिनमें निकाय के भीतर नियुक्तियों और चल रही रिक्तियों के बारे में संदेह भी शामिल है।
- एनएचआरसी को स्वयं अपने कार्यों और निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता है।

बेकार बहाने (15 मई)

बीरेन सिंह ने जातीय हिंसा के लिए 'अवैध प्रवास' को जिम्मेदार ठहराया

- तीन वर्ष पहले म्यांमार में तख्तापलट के बाद सैनिक शासकों ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया था और लोकतंत्र तथा जातीय अधिकारों की मांगों को कुचलना शुरू कर दिया था।
- परिणामस्वरूप, अनेक नागरिक, विशेषकर जातीय अल्पसंख्यक, हिंसा और दमन से बचने के लिए भारत जैसे पड़ोसी देशों में भाग गए।
- म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र और चिन राज्य के शरणार्थियों ने मिजोरम और मणिपुर में शरण ली।
- मिजोरम में शरणार्थियों, विशेषकर चिन जातीयता के लोगों के साथ स्थानीय मिजो लोगों द्वारा अनुकूल व्यवहार किया जाता था, जिन्हें जातीय भाई माना जाता था।
- हालाँकि, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाले मणिपुर में शरणार्थियों को ऐसा अनुकूल व्यवहार नहीं मिला और उन्हें कलंकित किया गया।
- जातीय बहुसंख्यकवाद की प्रबलता के कारण मणिपुर सरकार ने शरणार्थी मुद्दों को सीमा पार नशीली दवाओं के व्यापार के साथ जोड़ दिया।
- मणिपुर सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम, जैसे मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करना तथा भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा, इस रुख को प्रतिबिंबित करते हैं।
- मुख्यमंत्री सिंह ने मणिपुर में जातीय संघर्षों सहित हिंसा के लिए अपनी सरकार द्वारा "अफीम की खेती" और "अवैध आव्रजन" के खिलाफ की गई कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया।
- हालाँकि, यह दृष्टिकोण जातीय संघर्ष को अतिसरलीकृत और पक्षपातपूर्ण बनाता है, तथा कुकी-ज़ो समुदाय के बीच विश्वास पैदा करने में सरकार की विफलता को उजागर करता है।
- अत्याधुनिक हथियारों से लैस निगरानी समूहों सहित मणिपुरी समाज के सैन्यीकरण ने कानून और व्यवस्था की समस्याओं को बढ़ा दिया है, जो स्थिति से निपटने में सरकार की खराब कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
- मणिपुर में दृष्टिकोण और नेतृत्व में बदलाव के बिना स्थिति और खराब होने की संभावना है।

एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी की चुनौती (15 मई)

- क्षय रोग (टीबी) मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित करता है, जिसे फुफ्फुसीय टीबी के रूप में जाना जाता है, लेकिन लगभग 20% मामले लिम्फ नोड्स, मस्तिष्क, आंत और आंखों जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित करते हैं, जिसे एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी (ईपीटीबी) कहा जाता है।
- मस्तिष्क और आंख जैसे अंगों में प्रतिरक्षा संबंधी विशेषाधिकार होते हैं, जिसके कारण फेफड़ों की टीबी का इलाज हो जाने के बाद भी टीबी संक्रमण बना रहता है।

PathfinderIAS

- ईपीटीबी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करता है, जो संभवतः अनुमान से भी बड़ी है, क्योंकि इसका पता लगाना कठिन है और यह अन्य गैर-टीबी स्थितियों के समान हो सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार प्रतिवर्ष 10 मिलियन से अधिक नए टीबी मामले सामने आते हैं, जिनमें से 27% मामले भारत में हैं।
- हालांकि, ईपीटीबी के प्रभाव का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर नियमित टीबी परीक्षणों में दिखाई नहीं देता है और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है।
- कई ईपीटीबी मामलों में फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता, जिससे उनकी वास्तविक व्यापकता छिप जाती है।
- यद्यपि टीबी को समाप्त करने के प्रयास मुख्य रूप से फुफ्फुसीय टीबी पर केंद्रित हैं, क्योंकि इसका बोझ अधिक है तथा संक्रमण फैलाने में इसकी भूमिका अधिक है, तथापि ईपीटीबी काफी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है।
- ईपीटीबी का सही निदान न होने से संक्रमित अंगों को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है, जैसे दृष्टि हानि या अंधापन।
- इसलिए, टीबी के विभिन्न रूपों और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, इसका व्यापक रूप से समाधान करना आवश्यक है।

ज्ञान का अंतर

- एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी (ईपीटीबी) से निपटने में मुख्य चुनौतियां चिकित्सकों में जागरूकता की कमी तथा अपर्याप्त निदान और उपचार मानदंड हैं।
- यद्यपि टीबी उत्पन्न करने वाले माइकोबैक्टीरिया आंखों सहित विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं, फिर भी टीबी का उपचार करने वाले कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इस संबंध से अनभिज्ञ हैं।
- ईपीटीबी का सटीक निदान करना और उचित उपचार शुरू करना उन लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है जो इस रोग के बारे में जानते हैं।
- विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल के अभाव के कारण ईपीटीबी के बारे में जानकारी खंडित हो जाती है।
- 2014 में, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोक्रेन संक्रामक रोग समूह के विशेषज्ञों ने भारत में ईपीटीबी के प्रबंधन के लिए इंडेक्स-टीबी दिशानिर्देश विकसित करने के लिए सहयोग किया था।
- उन्होंने ईपीटीबी से प्रभावित 10 अंगों के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस प्वाइंट भी जारी किए, लेकिन साक्ष्य की गुणवत्ता केवल पांच अंगों के लिए ही पर्याप्त थी, और इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सीमित रहा है।
- ईपीटीबी प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारत जैसे उच्च टीबी बोझ वाले देशों में।
- अस्पतालों को ईपीटीबी मामलों पर डेटा संग्रहण में सुधार करना होगा, क्योंकि वर्तमान संख्या बड़े सार्वजनिक अस्पतालों के टीबी विभागों पर निर्भर करती है, जबकि ईपीटीबी का प्रबंधन करने वाले विशेषज्ञ विभागों में अक्सर असंगत डेटा प्रथाएं होती हैं।

PatrioticIAS

- विशेषज्ञ विभागों को रोगियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने चाहिए तथा उन्हें राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के साथ साझा करना चाहिए, ताकि टीबी नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोगी प्रबंधन पोर्टल, निक्षय में आंकड़ों की सटीकता में सुधार हो सके , विशेष रूप से ईपीटीबी मामलों के संबंध में।

अनुसंधान प्राथमिकता

- एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी (ईपीटीबी) के प्रमुख पहलुओं, जिसमें संक्रमण कैसे फैलता है और टीबी जीवाणु की हमारे अंगों के साथ अंतःक्रिया शामिल है, को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है।
- ईपीटीबी रोगियों में टीबी रोधी चिकित्सा पूरी करने के बाद भी रोग के लक्षण प्रदर्शित होते रहते हैं, जिसके कारण लक्षण जारी रहते हैं।
- उदाहरण के लिए, आंखों में, मूल टीबी संक्रमण से उत्पन्न स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, उपचार के बाद भी लगातार सूजन पैदा कर सकती है।
- ईपीटीबी से प्रभावित अन्य अंगों में भी इसी प्रकार की प्रतिरक्षात्मक क्रियाविधि विद्यमान हो सकती है, जो बैक्टीरिया के समाप्त हो जाने के बाद भी रोग को लम्बा खींच सकती है।
- इन तंत्रों को समझने के लिए विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच सहयोग और एकल-कोशिका आरएनए अनुक्रमण जैसे उन्नत प्रतिरक्षा विज्ञान उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- इन तंत्रों को समझे बिना, चिकित्सक लंबे समय तक टीबी रोधी उपचार लिखते रहेंगे, जो रोग का प्रभावी समाधान नहीं कर पाएगा तथा रोगियों को उपचार विषाक्तता का सामना करना पड़ सकता है।
- वर्तमान में, ईपीटीबी से प्रभावित सभी अंगों के लिए कोई मानकीकृत निदान और उपचार प्रोटोकॉल नहीं है, तथा उन्हें विकसित करने के लिए नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है।
- एक दशक से भी अधिक समय पहले तैयार किए गए मौजूदा इंडेक्स-टीबी दिशानिर्देशों को नवीनतम आंकड़ों और अनुभवों के साथ अद्यतन करने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट को शामिल किया जाना चाहिए।
- लगभग पांच में से एक टीबी रोगी ईपीटीबी से पीड़ित होता है, लेकिन कई मामलों का निदान नहीं हो पाता है, और जिनका निदान हो जाता है, उन्हें अक्सर उचित देखभाल नहीं मिल पाती है, जब तक कि वे विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं में न जाएं।
- ईपीटीबी के बारे में जागरूकता और समझ में सुधार करना तथा प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित निदान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रोटोकॉल विकसित करना आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विनियामक सैंडबॉक्स के महत्व पर (15 मई)

PathfinderIAS

On the importance of regulatory sandboxes in artificial intelligence

Regulatory sandboxes have become a significant instrument in various countries, used to evaluate innovations within a defined and monitored time frame while being subject to regulatory oversight and controlled constraints

Sanhita Chauriha

The advancement of Artificial Intelligence (AI) technologies has posed both unprecedented opportunities and complex challenges for societies worldwide. As AI applications continue to proliferate across industries such as healthcare, transportation, finance, and more, concerns have emerged regarding ethical implications, data privacy, and potential risks associated with their deployment. In response, many governments and regulatory bodies have turned to innovative approaches such as "AI regulatory sandboxes" to strike a balance between fostering AI innovation and ensuring responsible development.

To regulate but not restrict

Regulatory sandboxes have become a significant instrument in various countries, used to evaluate innovations within a defined and monitored time frame while being subject to regulatory oversight and controlled constraints. This approach serves as a valuable tool for policymakers, furnishing them with empirical evidence regarding the advantages and potential risks associated with emerging technologies. Moreover, an evidence-based approach empowers policymakers to adopt a well-informed stance in crafting legal and policy responses that foster beneficial innovation. For businesses engaged in these sandboxes, insights gleaned from a study on 'fintech regulatory sandboxes' indicate that this controlled environment enhances access to funding by mitigating information imbalances and reducing regulatory costs. Such multifaceted utility positions regulatory sandboxes as a catalyst for fostering innovation, supporting economic growth, and ensuring responsible governance in a rapidly evolving landscape of emerging technologies.

While the inception of the first formal regulatory sandbox is often attributed to the Financial Conduct Authority in the U.K., numerous other nations have subsequently introduced or announced similar initiatives to assess innovations spanning various industries. According to data from the World Bank, as of November 2020, there were approximately 73 regulatory sandboxes, both announced and operational, within the financial sector across 57 jurisdictions. In India, all financial sector regulators, including the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and International Financial Services Centre Authority, have launched their respective regulatory sandboxes. Expanding beyond finance, Karnataka has enacted the Karnataka Innovation Authority Act, 2020, establishing an Innovation Authority dedicated to promoting and regulating innovative technologies through a regulatory sandbox model. Notably, the recently passed Telecommunications Act 2023 proposed a regulatory sandbox where the central Government has the authority to establish one or more regulatory sandboxes, as prescribed, to promote and facilitate innovation and technological development in the field of telecommunications, specifying the manner and duration for their implementation.

The benefits of regulatory sandboxes

In the discourse surrounding AI regulation, the concept of regulatory sandboxes emerges as a compelling avenue for exploration. When one considers the necessity of stringent, detailed regulation or favouring adaptable strategies like soft or self-regulation, the introduction of a regulatory sandbox remains a viable option. Firstly, such a sandbox provides a controlled environment for experimentation, offering invaluable insights into AI technologies capabilities and limitations while fostering collaboration between innovators and regulators. Additionally, it promotes transparency and accountability by requiring participants to disclose information about their AI models, addressing concerns about opacity and enabling tailored regulations. Furthermore, by mandating risk assessments and safeguards, the sandbox encourages responsible innovation, mitigating potential societal impacts of AI applications and nurturing a culture of ethical development within the industry.

Article 53 of the European Union's AI Act, has the provision of a regulatory sandbox to test technology before making it mainstream. Additionally, Spain became the first European country to have established the statute of the Spanish Agency for the Supervision of Artificial Intelligence (AESIA), ahead of the European regulation on artificial intelligence. This regulation will mandate member states to designate a 'national supervisory authority' responsible for overseeing the implementation of regulations related to AI.

Globally, there is a competitive race to regulate and harness AI's vast potential. The EU has come up with an AI Act, the U.S. has released a white paper on the AI Bill of Rights, and the U.K. has a national AI Strategy. China is trying to regulate various aspects of AI like generative AI while Singapore is following an innovation-friendly approach.

India's approach to AI

In India, NITI Ayog released a discussion paper outlining a national strategy for AI, which led to the establishment of the national AI Portal. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), released a report on AI Innovation 2023 highlighting India's AI vision through seven working groups. The latest proposal of the Digital India Act, 2023 also talks about regulating AI by creating a separate set of laws and regulations.

India's interest in regulating AI is grounded in a multifaceted approach encompassing economic ambitions, ethical considerations, job creation, industrial transformation, and overall societal welfare. As a global technology hub, the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence and the Delhi Declaration, India aspires to foster innovation in alignment with its cultural and ethical values. A comprehensive regulatory sandbox can be envisioned to guide businesses, researchers, and policymakers, steering AI development towards sustainable growth.

A regulatory sandbox should not be viewed as an approach to directly govern AI, but rather as a progressive step preceding formal legislation. It serves as a preparatory measure tailored to India's specific circumstances, paving the way for future regulatory actions aligned with the country's needs and developments in the AI landscape. By providing a controlled environment for testing innovative AI applications, a regulatory sandbox enables stakeholders to assess risks, refine regulatory frameworks, and foster collaboration between regulators, industry players, and other stakeholders. This collaborative approach not only promotes responsible AI deployment but also positions India at the forefront of shaping effective and adaptive regulatory frameworks for emerging technologies. Given the distinct Indian context, it becomes pivotal to determine which approach is most viable and efficient in striking a balance between fostering AI innovation and ensuring ethical, transparent, and accountable AI implementations.

Sanhita Chauriha is a Data Privacy and Technology Lawyer.

- विनियामक सैंडबॉक्स सुरक्षित स्थानों की तरह हैं, जहां कंपनियां नए नवीन विचारों का परीक्षण कर सकती हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बिना सभी नियमित विनियमनों और प्रतिबंधों का सामना किए।
- इससे उन्हें प्रयोग करने, डेटा एकत्र करने, तथा यह समझने का अवसर मिलता है कि उनके विचार वास्तविक दुनिया में किस प्रकार काम करते हैं, बिना किसी सामान्य कानूनी परिणाम के।
- यह उपभोक्ताओं और बाजार की सुरक्षा करते हुए नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है।

विनियामक सैंडबॉक्स विभिन्न देशों में एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं, जिनका उपयोग विनियामक निरीक्षण और नियंत्रित बाधाओं के अधीन रहते हुए एक निर्धारित

और निगरानी की गई समय सीमा के भीतर नवाचारों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है ।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों का विकास वैश्विक स्तर पर समाजों के लिए महान अवसर और जटिल चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है।
- एआई अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, वित्त आदि में फैल रहे हैं, लेकिन इससे नैतिकता, डेटा गोपनीयता और संभावित जोखिमों के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
- इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकारें और नियामक संस्थाएं "एआई नियामक सैंडबॉक्स" जैसी नवीन रणनीतियां अपना रही हैं।
- ये सैंडबॉक्स ऐसे वातावरण हैं जहां नियंत्रित परिस्थितियों में एआई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और विकास किया जा सकता है।
- उनका उद्देश्य एआई नवाचार को प्रोत्साहित करने और एआई प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक ढांचा प्रदान करके जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना है।
- विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से, हितधारक एआई क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए एआई परिनियोजन से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं।

विनियमित करना परंतु प्रतिबंधित नहीं करना

- विनियामक सैंडबॉक्स महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिनका उपयोग विभिन्न देशों में विनियामक निगरानी और नियंत्रित बाधाओं के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर नवाचारों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- वे नीति निर्माताओं को उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों और संभावित जोखिमों के बारे में अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करते हैं, जिससे वे कानूनी और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को तैयार करने के बारे में सुविचारित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- इन सैंडबॉक्स में व्यवसायों के लिए, अध्ययन बताते हैं कि यह नियंत्रित वातावरण सूचना असंतुलन और नियामक लागतों को कम करके वित्तपोषण तक पहुंच को बढ़ाता है।
- विनियामक सैंडबॉक्स को नवाचार को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को समर्थन देने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में जिम्मेदार शासन सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है।
- ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण को प्रथम औपचारिक विनियामक सैंडबॉक्स शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उसके बाद से कई अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया है।
- नवंबर 2020 तक, दुनिया भर के 57 न्यायालयों में वित्तीय क्षेत्र में लगभग 73 विनियामक सैंडबॉक्स घोषित और परिचालन में थे।
- भारत में, सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों ने अपने नियामक सैंडबॉक्स लॉन्च किए हैं, और कर्नाटक ने कर्नाटक नवाचार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया है, जो एक नियामक सैंडबॉक्स मॉडल के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए समर्पित एक नवाचार प्राधिकरण की स्थापना करता है।

Patriot IAS

- भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 में एक नियामक सैंडबॉक्स का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार को दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक या एक से अधिक सैंडबॉक्स स्थापित करने का अधिकार होगा।

विनियामक सैंडबॉक्स के लाभ

- नियामक सैंडबॉक्स को एआई विनियमन से संबंधित चर्चा में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो सख्त, विस्तृत विनियमनों का विकल्प प्रस्तुत करता है।
- ये सैंडबॉक्स एआई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे नवप्रवर्तकों और नियामकों के बीच प्रयोग और सहयोग संभव होता है।
- वे प्रतिभागियों से उनके एआई मॉडल के बारे में जानकारी प्रकट करने की अपेक्षा करके पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, अस्पष्टता के बारे में चिंताओं को दूर करते हैं और अनुरूप विनियमन को सक्षम करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, विनियामक सैंडबॉक्स जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाते हैं, जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और एआई अनुप्रयोगों के संभावित सामाजिक प्रभावों को कम करते हैं।
- यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम के अनुच्छेद 53 में मुख्यधारा कार्यान्वयन से पहले प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए नियामक सैंडबॉक्स का प्रावधान शामिल है।
- स्पेन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यूरोपीय विनियमन से पहले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पर्यवेक्षण के लिए स्पेनिश एजेंसी (AESIA) का क़ानून स्थापित किया है।
- वैश्विक स्तर पर, एआई की क्षमता को विनियमित करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ चल रही है, जिसमें यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सिंगापुर सभी इस क्षेत्र में रणनीति और विनियमन विकसित कर रहे हैं।

एआई के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- भारत में, नीति आयोग ने एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एआई पोर्टल की स्थापना हुई।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI इनोवेशन 2023 पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सात कार्य समूहों के माध्यम से भारत के AI विज़न पर प्रकाश डाला गया।
- डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 अलग-अलग कानूनों और विनियमों के माध्यम से एआई को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है।
- एआई को विनियमित करने में भारत की रुचि आर्थिक महत्वाकांक्षाओं, नैतिक विचारों, रोजगार सृजन, औद्योगिक परिवर्तन और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है।
- भारत का लक्ष्य एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी के अध्यक्ष के रूप में अपने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा देना है।
- एआई विकास को सतत विकास की दिशा में निर्देशित करने के लिए एक व्यापक नियामक सैंडबॉक्स की परिकल्पना की गई है।

PathfinderIAS

- विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य सीधे तौर पर एआई को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि औपचारिक कानून बनाने से पहले भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप प्रारंभिक उपाय के रूप में कार्य करना है।
- एआई अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करके, सैंडबॉक्स हितधारकों को जोखिमों का आकलन करने, नियामक ढांचे को परिष्कृत करने और सहयोग को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
- यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण जिम्मेदार एआई परिनियोजन को बढ़ावा देता है और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रभावी नियामक ढांचे को आकार देने में भारत को सबसे आगे रखता है।
- भारत के लिए एआई नवाचार को बढ़ावा देने और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए सबसे व्यवहार्य और कुशल दृष्टिकोण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

सवाल: भारत में ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता में सुधार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की क्षमता पर चर्चा करें। (150 शब्द/10 अंक)

PatriotiAS

अप्रैल में थोक मूल्य मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (15 मई)

खाद्य वस्तुओं की कीमतें चार महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ीं; आलू और प्याज की कीमतों में क्रमशः 72% और 60% की वृद्धि हुई, जिससे सब्जियों की मुद्रास्फीति बढ़कर 23.6% हो गई, जबकि धान की कीमतों में 12% से अधिक की वृद्धि हुई

- अप्रैल में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर 1.26% पर पहुंच गयी, जो मार्च में 0.53% थी।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में उछाल तथा ईंधन और बिजली की कीमतों में 1.4% की वृद्धि के कारण हुई, जिससे 11 महीने की अपस्फीति का अंत हो गया।
- माह-दर-माह आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में 0.8% की वृद्धि हुई, जो जुलाई 2023 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि है।
- अप्रैल में प्राथमिक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगभग 2% की वृद्धि हुई, जबकि विनिर्मित उत्पादों में 0.5% की वृद्धि देखी गई।

- अप्रैल में प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि चार महीने के उच्चतम स्तर 7.74% पर पहुंच गई, जबकि सब्जियों की कीमतों में 23.6% की वृद्धि हुई।
- आलू और प्याज में उल्लेखनीय मुद्रास्फीति देखी गई, जो मार्च की तुलना में क्रमशः 72% और 59.8% थी।
- धान की कीमतों में भी 12% से अधिक की वृद्धि हुई।
- थोक खाद्य सूचकांक में 5.5% की वृद्धि हुई, जो आठ महीनों में सबसे अधिक है, जबकि विनिर्मित उत्पादों में अपस्फीति अप्रैल में घटकर 0.4% रह गई, जो मार्च में 0.8% थी।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के बीच तुलना

1. **अर्थ**:
   - WPI: यह थोक विक्रेताओं द्वारा थोक में बेची गई वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन पर नज़र रखता है।
   - सीपीआई: यह ग्राहकों द्वारा खुदरा विक्रेताओं को भुगतान की जाने वाली कीमतों में परिवर्तन की निगरानी करता है।
2. **सूचकांक का प्रकाशक**:
   - डब्ल्यूपीआई: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।
   - सीपीआई: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित।
3. **आधार वर्ष**:
   - WPI: आधार वर्ष 2011-12 है।
   - सीपीआई: आधार वर्ष 2012 है।
4. **आवृत्ति**:
   - WPI: प्राथमिक लेख, ऊर्जा उत्पाद और बिजली जैसे घटक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होते हैं, जबकि समग्र सूचकांक मासिक होता है।
   - सीपीआई: प्रत्येक माह की 14 तारीख को प्रकाशित।
5. **स्रोत**:
   - WPI: वस्तुओं के उत्पादन मूल्यों पर आधारित।
   - सीपीआई: दैनिक घरेलू व्यय पर आधारित।
6. **माप**:
   - WPI: थोक विक्रेताओं और निर्माताओं को शामिल करते हुए लेनदेन के पहले चरण में मापा जाता है।
   - सीपीआई: लेनदेन के अंतिम चरण में मापा जाता है, जहां ग्राहक कीमत का भुगतान करते हैं।
7. **मदों की संख्या**:
   - WPI: इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं।

PatriotIAS

- सीपीआई: ग्रामीण क्षेत्रों में 448 तथा शहरी क्षेत्रों में 460 वस्तुओं को कवर करता है।

8. **आइटम का भार:**
    - WPI: खाद्य समूह कुल वजन का लगभग 24.4% होता है।
    - सीपीआई: खाद्य समूह का भार लगभग 39.06% है।
9. **सेवा की स्थिति:**
    - WPI: इसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं।
    - सीपीआई: इसमें आवास, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल जैसी सेवाएं शामिल हैं।
10. **माल:**
    - WPI: खनिज, मूल धातु, मशीनरी और विनिर्माण जैसी वस्तुओं पर नज़र रखता है।
    - सीपीआई: शिक्षा, संचार, आवास, मनोरंजन, परिवहन और पेय पदार्थों पर नज़र रखता है

PatrioticIAS

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: सौर तूफान सूर्य की सतह से ऊर्जा का विस्फोट है। पृथ्वी के बुनियादी ढांचे पर एक मजबूत सौर तूफान का संभावित परिणाम क्या है? (क) अधिक धूप के कारण फसल की पैदावार में वृद्धि (बी) बिजली ग्रिड और संचार नेटवर्क में व्यवधान (ग) कम सौर विकिरण के कारण वायु की गुणवत्ता में सुधार (घ) ध्रुवीय बर्फ की चोटियों का तेजी से पिघलना	उत्तर: (बी) बिजली ग्रिड और संचार नेटवर्क में व्यवधान **व्याख्या** : मजबूत सौर तूफान पृथ्वी पर भू-चुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं, जो बिजली ग्रिड और संचार नेटवर्क में विद्युत धाराओं को बाधित कर सकते हैं। इससे ब्लैकआउट और आउटेज हो सकते हैं।
प्रश्न 2: कुछ देश अपने बुनियादी ढांचे पर सौर तूफानों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या निवारक उपाय करते हैं? (क) सौर विकिरण को अवशोषित करने के लिए अधिक पेड़ लगाना (बी) अधिक मजबूत और लचीले बिजली ग्रिड में निवेश करना (ग) बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन का भंडारण	उत्तर: (बी) अधिक मजबूत और लचीले बिजली ग्रिड में निवेश करना **व्याख्या:** विद्युत ग्रिडों को सर्ज प्रोटेक्शन और अतिरेक उपायों के साथ उन्नत करने से सौर तूफानों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करने में मदद मिल सकती है।

(घ) सौर ज्वालाओं को विक्षेपित करने के लिए उपग्रहों का प्रक्षेपण	
प्रश्न 3: जोड़ों की चोटों के लिए वैक्स उपचार में गर्म पैराफिन मोम लगाना शामिल है। इस थेरेपी का इच्छित लाभ क्या है? (ए) सूजन को काफी हद तक कम करना (बी) फ्रैक्चर के तेजी से उपचार को बढ़ावा देना (सी) रक्त परिसंचरण में सुधार और अस्थायी दर्द से राहत प्रदान करना (घ) जोड़ में गति की पूरी सीमा को पूरी तरह से बहाल करना	उत्तर: (सी) रक्त परिसंचरण में सुधार और अस्थायी दर्द से राहत प्रदान करना **स्पष्टीकरण:** पैराफिन वैक्स थेरेपी का उपयोग इसकी हल्की गर्मी के लिए किया जाता है जो: क्षेत्र में रक्त प्रवाह में सुधार, जो संभवतः उपचार प्रक्रिया में सहायक होगा। जोड़ों की चोटों से जुड़े दर्द और जकड़न से अस्थायी राहत प्रदान करें।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए वैक्स उपचार की आमतौर पर सिफारिश नहीं की जाती है? (क) मोच और खिंचाव (बी) खुले घाव या चिढ़ी हुई त्वचा (सी) महत्वपूर्ण सूजन के साथ गठिया (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी **स्पष्टीकरण:** वैक्स उपचार सभी जोड़ों की चोटों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। आमतौर पर इसकी सिफारिश नहीं की जाती है: खुले घाव या उत्तेजित त्वचा: गर्मी से जलन बढ़ सकती है या जलन हो सकती है। गंभीर सूजन के साथ गठिया: गर्मी सूजन को और बढ़ा सकती है। ऐसी स्थितियाँ जहाँ रक्त प्रवाह में वृद्धि वांछनीय नहीं है: कुछ मामलों में, रक्त प्रवाह में वृद्धि प्रतिकूल परिणाम दे सकती है।
प्रश्न 5: ग्रांडे प्रेयरी वन क्षेत्र कनाडा के किस प्रांत में स्थित है? (ए) ब्रिटिश कोलंबिया (बी) अल्बर्टा (सी) सस्केचवान (घ) मैनिटोबा	उत्तर: (बी) अल्बर्टा **व्याख्या:** ग्रांडे प्रेयरी वन क्षेत्र कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है ।
प्रश्न 6: ग्रांडे प्रेयरी वन क्षेत्र बोरियल वन बायोम का हिस्सा है। इस बायोम में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट वृक्ष प्रजातियाँ कौन सी हैं? (क) ओक, मेपल, बर्च (बी) स्प्रूस, पाइन, फर (सी) सागौन, महोगनी, आबनूस (घ) ताड़, बरगद, रबर	उत्तर: (बी) स्प्रूस, पाइन, फर **व्याख्या:** बोरियल वन बायोम, जिसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है, स्प्रूस, पाइन और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ों की विशेषता है। ये पेड़ इस क्षेत्र की ठंडी सर्दियों और छोटे बढ़ते मौसम के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं।
प्रश्न 7: ग्रांडे प्रेयरी वन क्षेत्र निम्नलिखित कारणों से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है: (क) व्यापक खेती और कृषि (बी) खनिजों और संसाधनों का समृद्ध भंडार	उत्तर: (सी) लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों का उत्पादन **स्पष्टीकरण:** ग्रांडे प्रेयरी वन क्षेत्र, शंकुधारी वृक्षों की प्रचुरता के कारण, संभवतः लकड़ी का एक स्रोत है जिसका उपयोग लकड़ी और निर्माण

PatriotIAS

(ग) लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों का उत्पादन (D। उपरोक्त सभी	उद्योगों में विभिन्न लकड़ी उत्पादों के लिए किया जा सकता है ।
प्रश्न 8: भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन से प्रमुख अधिकार निहित हैं? (क) उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचना का अधिकार (ख) खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार (ग) निष्पक्ष और जिम्मेदार मूल्य निर्धारण का अधिकार (D। उपरोक्त सभी	**उत्तर: (डी)** उपरोक्त सभी **स्पष्टीकरण** : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को विभिन्न अधिकार प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: सूचना का अधिकार: उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जा रहे उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है, जिसमें मूल्य, संरचना और विनिर्माण जैसे विवरण शामिल हैं। सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। उचित एवं जिम्मेदार मूल्य निर्धारण का अधिकार: उपभोक्ताओं को भ्रामक छूट या अत्यधिक मूल्य निर्धारण जैसी अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
प्रश्न 9: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता शिकायत के मामले में, उपभोक्ता निवारण के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय से संपर्क कर सकता है? (ए) केवल स्थानीय पुलिस स्टेशन (बी) जिला उपभोक्ता फोरम (ग) सीधे उच्च न्यायालय (घ) उत्पाद का निर्माता	**उत्तर: (बी)** जिला उपभोक्ता फोरम **स्पष्टीकरण:** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता विवादों के लिए तीन स्तरीय निवारण प्रणाली स्थापित करता है। पहला स्तर जिला उपभोक्ता फोरम है, जो 1 करोड़ रुपये तक के मूल्य के दावों को संभालता है।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया अधिकार नहीं है? क) सुरक्षा का अधिकार ख) सूचित किए जाने का अधिकार ग) किसी भी कारण से सामान वापस करने का अधिकार निवारण मांगने का अधिकार	**उत्तर:** c) किसी भी कारण से माल वापस करने का अधिकार **स्पष्टीकरण:** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं को उनके हितों की रक्षा के लिए कई अधिकार प्रदान करता है। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार और निवारण की मांग करने का अधिकार शामिल है। हालाँकि, अधिनियम स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं को किसी भी कारण से सामान वापस करने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं देता है। इसके बजाय, यह उपभोक्ताओं को केवल तभी सामान वापस करने की अनुमति देता है जब वे दोषपूर्ण, कमी वाले या विज्ञापित के अनुसार न हों। **विकल्प विश्लेषण:** a) गलत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा

PatriotIAS

	का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें खतरनाक वस्तुओं या सेवाओं से सुरक्षा शामिल है। b) गलत। सूचित किए जाने का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता के बारे में सटीक जानकारी तक पहुँच हो। वस्तुओं या सेवाओं की कीमत और मानक के बारे में उपभोक्ताओं की राय। d) गलत। निवारण मांगने का अधिकार उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से उत्पन्न शिकायतों के लिए मुआवज़ा या समाधान मांगने का अधिकार देता है।

प्रश्न 11: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच विवादों के निपटारे के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? क) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ग) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (डीसीडीआरएफ) घ) राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी)	**उत्तर**: b) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) **व्याख्या**: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित शीर्ष उपभोक्ता विवाद निवारण मंच है। यह 1 करोड़ रुपये से अधिक के दावों या राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के फैसलों के खिलाफ विवादों को संभालता है। **विकल्प विश्लेषण**: a) गलत। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह सीधे तौर पर उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच विवाद समाधान को नहीं संभालता है। c) गलत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF) जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपये तक के दावों से जुड़े विवादों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। यह विवाद समाधान के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं है। d) गलत। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) राज्य स्तर पर 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच के दावों से जुड़े विवादों को संभालता है, लेकिन यह विवाद समाधान के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं है।
प्रश्न 12: मुद्रास्फीति के संदर्भ में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) क्या मापता है? क) खुदरा स्तर पर उपभोक्ता मूल्य में उतार-चढ़ाव	**उत्तर**: c) निर्माताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा थोक में बेची गई वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन **व्याख्या**: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक स्तर पर उत्पादकों द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्यों में औसत

PatriotIAS

ख) परिवारों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन ग) निर्माताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा थोक में बेची गई वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन घ) शेयर बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव	परिवर्तन को मापता है। यह निर्माताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा थोक में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है, जो आपूर्ति श्रृंखला के शुरुआती चरणों में मुद्रास्फीति के रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। **विकल्प विश्लेषण**: a) गलत। खुदरा स्तर पर उपभोक्ता मूल्य में उतार-चढ़ाव को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापा जाता है, न कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा। b) गलत। घरों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में परिलक्षित होते हैं, न कि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा। d) गलत। शेयर बाजार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा नहीं मापा जाता है, जो वस्तुओं के थोक मूल्य परिवर्तनों पर केंद्रित है।
प्रश्न 13 : भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? ए) 2001-02 बी) 2011-12सी) 2015-16डी) 2020-21	**उत्तर**: बी) 2011-12 **व्याख्या**: भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। यह संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर मूल्य परिवर्तन मापा जाता है।
प्रश्न 14: भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन और प्रकाशन के लिए कौन जिम्मेदार है? a) वित्त मंत्रालय b) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)c) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)d) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)	**उत्तर**: c) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) **व्याख्या**: **सांख्यिकी और** कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। विकल्प a), b), और d) गलत हैं क्योंकि वे अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले अन्य सरकारी निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की गणना में शामिल नहीं होती है? a) खाद्य और पेय पदार्थ b) आवासc) शेयर बाजार निवेशd) परिवहन	**उत्तर**: c) शेयर बाजार निवेश **स्पष्टीकरण**: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में आम तौर पर खाद्य और पेय पदार्थ, आवास और परिवहन जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जो उपभोक्ताओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले खर्चों को दर्शाती हैं। हालाँकि, शेयर बाजार में निवेश को उपभोक्ता खर्च का हिस्सा नहीं माना जाता है और इसलिए इसे CPI गणना में शामिल नहीं किया जाता है। विकल्प a), b), और d)

PatriotIAS

	गलत हैं क्योंकि वे उन वस्तुओं को दर्शाते हैं जिन्हें आमतौर पर CPI गणना में शामिल किया जाता है।

PatrioticIAS